

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 692/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 5<sup>वां</sup> पलोर व 6<sup>वां</sup> पलोर  
प्लॉट संख्या 306,308,309, गोम्स डिफेन्स एकेडमी, वैशाली समिल, सम्राट बाजार के ऊपर, वैशाली नगर,  
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. स्व. श्रीमती शांति कौर जरिये विधिक वारिसान,
2. श्री गुरुचरण सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह, (स्वयं एवं स्व. श्रीमती शांति कौर के कानूनी विधिक उत्तराधिकारी की क्षमता में)
3. शांति लेडीज टेलर,
4. परविन्दर कौर,
5. कुन्दन सिंह लबाना, (स्वयं एवं स्व. श्रीमती शांति कौर के कानूनी विधिक उत्तराधिकारी की क्षमता में)

पता:- 124/373, अग्रवाल फार्म, थडी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. कविता टांक, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.12.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी स्व. श्रीमती शांति कौर जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 124/373, सेक्टर 12 ब्लॉक संख्या 124, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 50.93 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 17,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

- की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमपाव उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकता को और से सुना गया। पत्रावली एच प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05, अगस्त, 2016 को सरफेंसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 17,00,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण में उपरोक्त वर्गीत सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,57,479/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एच अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने के लिए आवश्यक है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
  5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी स्व. श्रीमती शांति कौर जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 124/373, सेक्टर 12 ब्लॉक संख्या 124, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 50.93 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

420  
पुकारा रामसुन्दर  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर